की शक्ल में सरकार को दी गई थी। वे नेफेड को भेज दी गई थीं। पहले एक कमेटी जांच के लिए बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने खुद कायम की लेकिन वह कमेटी अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकी, जैसा वाजपेयी जी जानते हैं। उसके बाद फिर हमने लिखा कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरी कमेटी बनी, पटेल कमेटी, मि० पटेल की अध्यक्षता में। उस कमेटी को भी हमने बार-बार कहा कि जल्दी जांच की रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाए कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने क्या निर्णय लिया है। तो अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने कुछ निर्णय ले लिया है लेकिन सरकार के पास अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

MR. SPEAKER: Shri Suraj Bhan. Absent. Twenty minutes have passed on this. Now Question No. 411—Shri S.M. Krishna.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, why don't you allow a discussion on this question because there are many others who would like to ask questions ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह क्वेश्चन तो हो चुका है, अब कितना इस पर और होगा।

MR. SPEAKER: This is an autonomous body. I can't. We shall see.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No, Sir. It has its ramifications....

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Question No. 412—Shri Krishna Chandra Pandey.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना करने पर रोक

*412. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना करने पर रोक लगा दी है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों के अभाव में पुरानी पड़ गई वर्तमान चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई पूरी तरह नहीं हो रही है और इसके परिणामस्वरूप गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना के लिए निदेश देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The Central Government have not imposed any ban on the setting up of khandsari mills in Eastern Uttar Pradesh. Only guidelines are issued to the State Governments in the matter of regulating the licensing and functioning of khandsari units. In pursuance of these guidelines and taking into account the local circumstances, the Government of Uttar Pradesh have not licensed any new khandsari units in the reserved areas of the sugar factories.

(b) The sugar mills in Eastern Uttar Pradesh have crushed, upto 7-7-1982, 57.24 lakh tonnes of sugarcane. The quantity of the bonded cane in the area was 56.35 lakh tonnes. During the last sugar year the sugarcane crushed by the mills was only 28.77 lakh tonnes.

(c) and (d). Do not arise in view of the answers given to parts (a) and (b).

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां गन्ना किसानों की हालत बहुत ही दयनीय होती जा रही है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिल के लिए जब किसान प्रार्थना-पत्र देते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि खांडसारी मिल का लाइसेंस नहीं मिलेगा और इस लिए नहीं मिलेगा कि केन्द्र ने रोक रखा है। हमें प्रसन्नता है कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह कौन-सा मार्गदर्शी सिद्धांत है जोकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के लिए दिया गया है ? क्या यह सही नहीं है कि ऐसा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत है जिसके अन्तर्गत खांडसारी मिल लगाना सम्भव नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने अर्ज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट की यह अपनी मर्जी की बात है कि चाहे तो वह लाइसेंस दे, चाहे न दे। इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट किसी अपने अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करती है। हमने तो किसानों के फायदे के लिए, वहां शूगर फेक्ट्रीज में गन्ने की ज्यादा क्रशिंग के लिए जहां कि शूगर फैक्ट्रीज लग गयीं हैं और जो प्रोडक्शन बढ़ना चाहते हैं उनको लाइसेंस भी दे दिए हैं। शूगर फैक्ट्रीज किसानों के गन्ने की कीमत भी ज्याद दे सकती हैं बनिस्पत खांडसारी और गुड़ बनाने वालों से। इसलिए गाइड लाइन्स हमने सिर्फ इतनी दी है कि फैक्ट्री के आसपास के दस मील के इलाके के अन्दर कोई खांडसारी यूनिट का लाइसेंस स्टेट गवर्नमैंट न दे। मैं नहीं समझता कि इसमें आनरेबल मेम्बर को क्या आपत्ति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : सवाल केवल यह है कि किसान प्रार्थना-पत्र देता है कि उसे खांडसारी मिल का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन चूंकि अधिकारीगण बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज और गन्ना मिलों के मालिकों से प्रभावित रहते हैं इसलिए उसे लाइसेंस नहीं मिल पाता। लेकिन मन्त्री जी ने अभी बताया कि दस मील के बाहर खांडसारी मिल का लाइसेंस मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आरक्षित क्षेत्र के बाहर खांडसारी मिल लगाने के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार के पास कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं ? क्या मन्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देंगे कि खांडसारी मिल के लाइसेंस के लिए जितने भी प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं उन पर तुरन्त निर्णय किया जाए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो चीज उत्तर प्रदेश सरकार के अख्तियार में है, उसके मामले में स्पीकर साहब यहां से सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती है।

दूसरी बात आपके जरिये से माननीय सदस्य को मैं यह समझाना चाहूंगा कि कोई शूगर मिल लगती है, वह उस इलाके में गन्ने की पैदावार देख कर के लगती है कि वहां काफी गन्ना मिल के लिए है या नहीं और यह भी सोचा जाता है कि वहां का किसान अपने गन्ने की कीमत भी अच्छी पा सके। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपके इलाके में भी शूगर मिल के लाइसेंस दिए गए हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपने मेहरबानी की है।

राव बीरेन्द्र सिंह। वहां किसानों की मदद के लिए ही मिलें कायम की जाती हैं जिस पर चार, पांच या छः करोड़ रुपया

लग जाता है। अगर एक मिल के बनने के बाद जोकि इस आधार पर लगायी जाती है कि वहां उसे गन्ना हासिल होगा, वहां गन्ना पैदा होता है, और सब जगह खांडसारी यूनिट चालू कर दिए जाएं तो उस मिल का क्या होगा। वह मिल भी फेल हो जाएगी और खांडसारी यूनिट में गन्ने की वेस्टेज भी ज्यादा होगी, शूगर फैक्टी में गन्ने से शूगर बनाने की बनिस्पत मिलें गन्ने से ज्यादा परसेन्टेज में शूगर निकालती हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी कहां हैं, गन्ने और खांड की बात हो रही है ?

श्री उमा कांत मिश्र: श्रीमन् पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां के किसान परेशान और बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि वहां के जिलों में और कस्बों में छोटे और मझौले उद्योग खोले जाएं। वहां कुछ शूगर मिलें हैं लेकिन शूगर मिलों के क्षेत्र के बाहर भी किसान गन्ना पैदा करता है। उद्योग लगने से लोगों को काम मिलता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देंगे कि जहां किसान चाहता हैं और शूगर मिल की क्षमता से अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, उनको खांडसारी का लाइसेंस दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे दिया है कि वे कर सकते हैं, इनको कोई एतराज नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, प्रश्न उत्तर से संबंधित है, अभी मंत्री जी ने बताया है कि सरकार खांडसारी यूनिट्स को शुगर मिल के 10 मील के एरिया में लाइसेंस नहीं देती। क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि बरेली में एक शुगर मिल है, एक बहेड़ी में और बीच में 15 मील पर तीसरी शुगर मिल का लाइसेंस दिया गया है। यदि ऐसा है तो खांडसारी यूनिट्स को गन्ना पेरने देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बताया गया है कि 15 जून तक मिलों में किसानों का बकाया रुपया 1 अरब 3 करोड़ 63 लाख है। क्रेशर वाले किसान को पैसा दे देते हैं, इसको देखते हुए क्या खाण्डसारी यूनिट्स को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए ?

इसके साथ ही मेरा स्पष्ट आरोप है कि विशिष्ट लोग अपने यहां मिलों को खींच ले जाते हैं और जहां ज्यादा जरूरत होती है वहां नहीं लगाई जातीं। पुवांया क्षेत्र में 50-50 किलोमीटर तक कोई मिल नहीं लगाई गई है। वहां से लिख कर भी दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस तरह से मिल लगाने के एरिया के बारे में, और बकाया को देखते हुए क्रेशरों को प्राथमिकता देने के बारे में और पुवांया क्षेत्र में मिल लगाए जाने के बारे में मंत्री महोदय जानकारी देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : बरेली में अगर लाइसेंस दिया गया है तीसरी मिल के लिए तो वहां गन्ना पर्याप्त मात्रा में पैदा होता होगा। इस तरह से एरिया को देखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश आती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, सारे कागजात देखे जाते हैं कि कितने एकड़ में गन्ने की पैदावार होती है, उसके बाद लाइसेंसिंग

कमेटी लाइसेंस दे देती है इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री से। इन सारी बातों की जांच पहले ही कर ली जाती है और जिस मिल का आप जिक्र कर रहे हैं, वह भी वहां के किसानों की मांग और गन्ने की पैदावार को देखते हुए लगाई जा रही होगी। इसी प्रकार अगर 50 मील तक कोई मिल नहीं है तो वहां पर पर्याप्त गन्ना पैदा नहीं होता होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यू० पी० से लिखकर आया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा तो नहीं है कि जो लिखकर आए वह सही ही हो। देखने का हमें अधिकार है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप देखिए और पुवांया के बारे में भी विचार कीजिए।

Building of Dams over rivers Kosi, Kamla and Bagmati

*414. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 57 on 12-7-1982 regarding Dam over river Kosi and state:

(a) whether any contract with H.M.G. of Nepal has since been made about the proposed Dams over rivers Kosi, Kamla and Bagmati ;

(b) if so, details thereabout ;

(c) if not, reasons therefor ; and

(d) the benefits to accrue from the above three projects when implemented and costs involved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z.R. ANSARI): (a) to (d). The last official talks on the water resources development of common rivers of India and Nepal including Kosi, Kamla and Bagmati were held in Feb., 1982 where the proposed multipurpose dam on river Kosi and proposals for harnessing of waters of rivers Kamla and Bagmati were discussed. It was decided in this meeting that further talks will be continued. The updated pre-feasibility report for Kosi High Dam has already been submitted to His Majesty's Government of Nepal in August, 1981. Their views on the same are still awaited. During the February, 1982 meeting, the Napalese had mentioned that they are carrying out studies of the Kosi basin to find a permanent solution. Regarding Bagmati and Kamla and Nepalese delegation agreed for further discussion during the next meeting.

As talks are in a preliminary stage the scope, size, benefits and the costs are not yet finalised jointly.

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि पिछले साल अपडेटिड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गई। उसके मातहत उसके फायदे, खर्चे वगैरह के मामले भी तो होंगे। उनको चाहिये था कि उनको बताते। प्रश्न के भाग डी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। इसका उत्तर दे दें तो मैं आगे बढ़ूं।

SHRI Z.R. ANSARI: The final project report has not been submitted. It is the pre-feasibility report which has been submitted to the Nepal Government. If the Hon. Member is interested in costs, the costs have not yet been finalised because they will be finalised after the agreement with the Nepalese Government. As far as the pre-feasibility report is concerned, the location of the dam, barrage site, maximum height of the dam, gross storage, live storage and dead storage, all these things have been sent to the Nepalese Government. If the Hon. Member is interested, I can give those details.

SHRI BHOGENDRA JHA: What about part (d) ?